



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 337]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

यू.जी.सी. (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017

सं. एफ. 1-4/2016(सीपीपी-1/डीयू).—प्रस्तावना :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (एँफ़) और (जी) के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम-विश्वविद्यालय की एक विशिष्ट श्रेणी बनाने के लिए जिन्हें उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालय संस्थान कहा गया है, समवत विश्वविद्यालय से भिन्न तरीके से विनियंत्रित किया जायेगा ताकि उचित समयावधि में विश्वस्तरीय संस्थान विकसित हो सके। निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात:-

## 1. संक्षिप्त नाम, आवेदन और आरंभ

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम 2017 कहा जायेगा।

1.2 ये विनियम सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत न आने वाले प्रत्येक मौजूदा अथवा प्रस्तावित संस्थान पर लागू होंगे जो इन विनियमों के अंतर्गत उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जाना चाहते हैं अथवा घोषणा की मांग करने वाले हैं।

1.3 ये विनियम, यथा उल्लिखित सीमा तक सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन समवत विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिन्हें यू.जी.सी. (प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की घोषणा) दिशा-निर्देशों, 2017 के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किया गया है।

1.4 ये विनियम अथवा यू.जी.सी. (प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की घोषणा) के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश, 2017 के तहत "समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान" के रूप में घोषित किये गये सम-विश्वविद्यालय इन विनियमों के अंतर्गत अधिनियमित किये जायेंगे और केवल दिशा-निर्देश एवं यू.जी.सी. विनियम, समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान जैसे संस्थानों पर लागू नहीं होंगे।

1.5 ये विनियम शासकीय गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभाव में लागू होंगे।

## 2.0 परिभाषाएँ

इन अधिनियमों में, जब तक सन्दर्भ की आवश्यकता अन्यथा न हो:

- 2.01 "अधिनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (1956 के अधिनियम 3)
- 2.02 "परिसर" से अभिप्रेत समवत विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट संस्थानों के परिसर से है जिसमें भारत में शैक्षणिक सुविधाओं, फैकल्टी, कर्मचारियों और छात्रों के साथ-साथ इसकी प्रमुख सुविधाएं शामिल होती हैं।
- 2.03 "आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किसी निश्चित समय विशेष के तहत समवत विश्वविद्यालय के रूप में एक संस्थान को अधिनियमित करने हेतु अधिनियम अथवा किसी अन्य शक्ति प्रदाता निकाय के अंतर्गत गठित किया गया हो।
- 2.04 "घटक संस्थान" से अभिप्रेत है प्रायोजक संगठन के प्रशासकीय, शैक्षणिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत संस्थान।
- 2.05 "अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति" से अभिप्रेत है कोई समिति जिसे आयोग द्वारा इन अधिनियमों के अधिनियम 7 द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों को प्रयोग में लाने हेतु गठित किया गया हो।
- 2.06 "शासन" से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार, जब तक सन्दर्भ निर्दिष्ट न किया जाए।
- 2.07 दिशा-निर्देश से अभिप्रेत है यू.जी.सी. (प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में सरकारी शिक्षा संस्थानों की घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017.
- 2.08 "संस्थान" से अर्थ है स्नातक, परास्नातक और उच्च स्तर पर उच्च शैक्षिक मानक के अध्यापन और शोध में उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थान.
- 2.09 "समवत विश्वविद्यालय संस्थान" से अर्थ है अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा, आयोग की सिफारिश पर, उच्च शिक्षा हेतु घोषित एक ऐसा संस्थान.
- 2.10 "मंत्रालय" से अर्थ है मानव संसाधन मंत्रालय.
- 2.11 "अधिसूचना" से अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा ऑफिसियल गजट में उच्च शिक्षा हेतु संस्थान के लिए यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में जारी की गई अधिसूचना.
- 2.12 "ऑफ-कैंपस सेंटर" से अर्थ है देश के बाहर स्थित कहीं भी और इसके परिसर से अलग उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय के संस्थान का केंद्र.
- 2.13 "ऑफ-शोर कैंपस" से अर्थ है भारत के बाहर स्थित एवं इसके परिसर से अलग उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय सांस्थानिक परिसर.
- 2.14 "परिचालनात्मक फीस" से अर्थ है वह कर जिसे आवेदक द्वारा इस प्रकार के आवेदन के परिचालन हेतु आवेदन के साथ आयोग को भुगतान किया जाना है.
- 2.14 परिचालन फीस से अर्थ है वे शुल्क जिन्हें ऐसे आवेदन की प्रक्रिया हेतु आवेदन के साथ-साथ आयोग को आवेदक द्वारा जमा किया जाना होता है. परिचालन फीस संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये होगी जो प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय वाले संस्थान के दर्जे के लिए आवेदन करते हैं. आयोग समय-समय पर इसे संशोधित कर सकता है.
- 2.15 "व्यावसायिक नियामक परिषद्" से अर्थ है एक ऐसी सरकारी निकाय जो किसी समय विशेष के लिए किसी नियम के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा और निकायों से अर्थात् भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई), भारतीय दन्त परिषद् (डीसीआई), रहस्त्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीसी) और भारतीय भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) से संबंधित उच्च शिक्षा के वर्तमान क्षेत्रों में गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने अथवा स्वरूप निर्धारित करने के लिए गठित की जाती है.
- 2.16 "प्रायोजक संगठन" से अर्थ है एक ऐसा निकाय जो कंपनी अधिनियम की धारा, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत समाविष्ट किसी धर्मार्थ अथवा गैर-लाभकारी संस्था अथवा जनट्रस्ट या एक कंपनी के रूप में है।
- 2.17 "समवत विश्वविद्यालय" से अर्थ है एक ऐसा संस्थान इन अधिनियमों के अंतर्गत घोषित किया गया हो और जो यू.जी.सी. (समवत विश्वविद्यालय) अधिनियम, 2016 के तहत "समवत विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित किये गये अन्य से भिन्न हों.

## 3.0 विश्वविद्यालय के लिए उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य

उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :